

कार्यालय उपनिदेशक (नि०)
राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ०प्र०
 किसान निर्माण भवन, नवीन मण्डी स्थल, कोटला रोड, फिरोजाबाद

पत्रांक— नि० ए० नि०/नि०/२०१०-४८७

दिनांक— 12-8-2010.....

अल्पकालीन निविदा सूचना

निम्नलिखित कार्यों के लिए मुहरबंद निविदाएं वित्तीय रूप से सुदृढ तथा अनुभवी एवं मण्डी परिषद में पंजीकृत ठेकेदारों से दिनांक 31.08.10 को दिन में 3.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में आमंत्रित की जाती हैं जो उसी तिथि को 3.30 बजे अधोहस्ताक्षरी अथवा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा इच्छुक निविदादाता अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएगी। निविदा प्रपत्र निविदा आमंत्रित करने की तिथि से एक दिन पूर्व तक कार्यालय कार्य दिवस/ अवधि में उपनिदेशक (निर्माण), मण्डी परिषद, फिरोजाबाद के कार्यालय एवं सम्भागीय उपनिदेशक (प्रशा०) मण्डी परिषद, आगरा, तथा भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, फिरोजाबाद से प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा क्रय करते समय प्रार्थना पत्र के साथ जमानत धनराशि की एफ०डी०आर० (राष्ट्रीयकृत बैंक का), जो उपनिदेशक (नि०), मण्डी परिषद, फिरोजाबाद के नाम बंधक होगी, जमा करने पर ही निविदा निर्गत की जायेगी। कार्य का विवरण निम्नवत है:-

क्र०	कार्य का नाम	निविदा विक्रय मूल्य	जमानत धनराशि लाख में	कार्य पूर्ण करने की अवधि	पंजीकृत ठेकेदारों की श्रेणी
मण्डी समिति मैनपुरी क्षेत्रान्तर्गत					
1	सम्पर्क मार्ग नवनेर मार्ग से विशालपुरी रोड तक तक निर्माण कार्य	1125.00	3.90	4 माह	स
2	सलेमपुर रजवाहा से नगला हरियाना तक निर्माण कार्य	1125.00	3.00	4 माह	स
3	दन्नाहार गढिया मार्ग से वनगढ तक निर्माण कार्य (चेनेज 0 से 0.55 किमी० तक)	565.00	0.33	3 माह	द
4	दन्नाहार गढिया मार्ग से वनगढ तक निर्माण कार्य (चेनेज 0.55 से 1.10 किमी० तक)	565.00	0.33	3 माह	द
मण्डी सील टूण्डला क्षेत्रान्तर्गत					
5	नवीन मण्डी स्थल टूण्डला में शिरोपरि जलाशय एवं पाइप लाइन बिछाने का कार्य	1125.00	2.10	6 माह	द

नोट :-

- परिषद पत्रांक मु०अभि०/(निविदा-3768)/2007-4410 दिनांक 21.02.07 एवं शासनादेश सं० 6738/23-7-06-176 (सं०/06 दिनांक 05.01.07) के द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी स्तर से निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र टी-4, हैसियत प्रमाण पत्र टी-5 एवं नोटरी द्वारा सत्यापित स्वघोषणा शपथ पत्र टी-6 निर्धारित प्रारूप पर निविदा क्रय करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- अनुबंध गठित होने के दो माह की समय सीमा में ठेकेदार को श्रम विभाग में पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- क्रमांक 03, 04 पर अंकित कार्यों की निविदा अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है।
- आरक्षित वर्ग के ठेकेदारों को निविदा की जमानत धनराशि दो प्रतिशत निविदा निर्गत के समय देय होगी। अवशेष 8 प्रतिशत जमानत धनराशि ठेकेदार के चालू देयकों से काट ली जाएगी।
- एक या समस्त निविदाएं बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकारी अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है। शेष नियम एवं शर्तें किसी भी कार्यालय कार्य दिवस/ अवधि में प्राप्त की जा सकती हैं।
- निविदा विभागीय वेबसाइट www.up.mandiparishad.in पर भी उपलब्ध रहेगी।

Nandy
 12.8.2010
 (पवन कुमार)
 उपनिदेशक (निर्माण)